न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/20/2020	2020/00089	23.10.2020	25.07.2022

1. सुरेन्द्र सिंह मीना पुत्र श्री हरचन्द मीना जाति मीना निवासी पिनान, तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर।
2. राजेन्द्र कुमार मीना पुत्र हरचन्द मीना जाति मीना निवासी पिनान तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर।
3. कमलेश रानी पुत्री श्री हरचन्द मीना पत्नी श्री संजय मीना निवासी बी–3 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर।

अपीलाण्ट्स

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 29.12.2002 नामान्तकरण संख्या 881 वाके ग्राम पिनान तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी

उपस्थितः–

01. श्री आफताब खान — वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

<u>–:: निर्णय ::–</u>

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ हाल तहसील रैणी के निर्णय दिनांक 29.12.2002 नामान्तकरण विरासत संख्या 881 वाके ग्राम पिनान तहसील राजगढ हाल रैणी जिसके द्वारा नामान्तकरण का स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.69, खसरा न0 02 रकबा 0.56, खसरा न0 03 रकबा 0.91, आराजी खसरा न0 04 रकबा 0.64, आराजी खसरा न0 05 रकबा 0.27, खसरा न0 08 रकबा 0.33 खसरा न0 9 रकबा 0.33, खसरा न0 10 रकबा 0.05, खसरा न0 11 रकबा 0. 63 है0 खसरा न0 12 रकबा 0.08 है0 ,खसरा न0 13 रकबा 0.05, खसरा न0 144 रकबा 0.26, खसरा न0 175 रकबा 0.35, खसरा न0 258 रकबा 0.04, खसरा न0 259 रकबा 0.63, खसरा न0 263 रकबा 0.41 है0 कुल किता 16 रकबा 06.23 है0 वाके ग्राम पिनान तहसील राजगढ हाल रैणी जिला अलवर में मिन अपीलान्ट के पिता हरचन्द का 1/3 हिस्सा था तथा मिन अपीलान्ट के पिता हरचन्द का स्वर्गवास होने के उपरान्त उनकी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

विरासत का इन्तकाल उनके वारिसान मिन अपीलान्ट व अन्य के नाम नामान्तकरण संख्या 881 दिनांक 29.12.2002 को दर्ज होकर स्वीकार किया गया। जिसके हाल खसरा न0 1/4661, 11/4670, 2/4662, 258,259/4671, 259/4671, 263/4673, 3/4664, 4/4666, 5,10,12,13,144,175,8,8 वाके ग्राम पिनान तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर में अमल आया जिसमें मिन अपीलान्ट का खाता संख्या नया 687 में प्रत्येक का 1/8 , 1/8 व खाता संख्या नया 138 में प्रत्येक का 1/6,1/6 हिस्सा है एवं मिन अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा वक्त इंतकाल स्वीकार करते समय मृतक हरचन्द पुत्र भौरया के वारिसान के सही नाम की कोई जांच पडताल नहीं की गई एवं गांव के लोगों के बताये अनुसार विवादित इंतकाल संख्या 881 दिनांक 29.12.2002 में मिन अपीलान्ट सुरेन्द्र सिंह मीना का नाम सुरेन्द्र व अपीलान्ट राजेन्द्र कुमार मीना का छोटू व कमलेश रानी मीना का नाम कम्मो गलत दर्ज कर दिया गया और राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबन्दी में मिन अपीलान्ट सुरेन्द्र कुमार मीना का सुरेश चन्द दर्ज कर दिया एवं अन्य अपीलान्ट नाम इंतकाल 881 दिनांक 29.12.2002 के अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। गलत नाम इन्द्राज के कारण मिन अपीलान्ट के हकहकूक जायल हो रहें हैं एवं मिन अपीलान्ट को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के पिता मृतक हरचन्द का विरासत इंतकाल दर्ज किया जाने से पूर्व उसके वारिसान के पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए थे। वारिसान के सही नाम की जांच पडताल की जानी चाहिए थी। मिन अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायायल के आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी तथा मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के इंतकाल संख्या 881 की नकल दिनांक 09.10.2020 को प्राप्त की एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी प्राप्त की तो उपरोक्त गलत नाम इन्द्राज की जानकारी हुई। जिस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का समय कण्डोन किया जाना आवश्यक है जिस हेतु अपीलान्ट द्वारा मियाद बिन्दु पर प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 881 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत 2057—2060 की प्रमाणित प्रति, हाल जमाबंदी संवत 2073—2075 दो प्रतियों में खाता संख्या 687 एंव 138, आधार कार्ड सुरेन्द्र सिंह मीना , आधार कार्ड राजेन्द्र कुमार मीना एवं आधार कार्ड कमलेश रानी मीना एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका प्रस्तुत की गई हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रैस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 29.12.2002 इंतकाल संख्या 881 को निरस्त फरमाया जाकर मिन अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुरेश चन्द के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह मीना एवं अपीलान्ट संख्या 02 का नाम छोटू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार मीना व अपीलान्ट संख्या 03 का नाम कम्मो के स्थान पर कमलेश रानी मीना दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन—मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

दिनांक 29.12.2002 को नामान्तकरण संख्या 881 स्वीकार करते समय अपीलान्ट्स के नाम सुरेश चन्द, छोटू व कम्मो दर्ज कर दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक हरचन्द के वारिसान की मौके पर जाकर समुचित जांच व पहचान नहीं किया जाकर ग्रामवासियान के मुताबिक नामान्तकरण में वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड संख्या 7582 2385 6687 में अपीलार्थी संख्या 01 का नाम सुरेन्द्र सिंह मीना दर्ज है एवं इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 02 के आधार कार्ड संख्या 2421 6764 0027 में अपीलार्थी संख्या 02 का नाम राजेन्द्र कुमार मीना दर्ज है। अपीलान्ट संख्या 03 के आधार कार्ड संख्या 6044 4211 0198 एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका में अपीलान्ट संख्या 03 का नाम कमलेश रानी मीना दर्ज है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 29.12.2002 द्वारा स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 881 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ हाल रैणी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2002 नामान्तकरण संख्या 881 वाके ग्राम पिनान तहसील राजगढ हाल रैणी निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ हाल तहसील रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट्स के दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच कर एवं संबंधित पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वन्दना खोरवाल
25/07/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार